तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27–06–2024	पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट श्री बाबूलाल स्वयं व्यक्तिगत उपस्थित। अपीलाण्ट की ओर की वकील श्री अरविन्द कुमार पुरोहित ने दिनांक 26–06–2024 को वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26–06–2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर द्वारा पूर्व में इस संबंध में दिनांक 28–03–2016 को निर्णय दिया जा चुका है। अतः मैं मेरी इस अपील को विड्रो करना चाहता हूँ तथा आगे नहीं चलाना चाहता हूँ। हमने अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र दिनांक 26–06–2024 बाबत् अपील विड्रो करने संबंधी का बगौर अवलोकन किया। विड्रो का प्रार्थना–पत्र अपीलाण्ट श्री बाबूलाल द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा श्री बाबूलाल की पहचान उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार पुरोहित द्वारा की गई। अतः ऐसी स्थिति में अपील के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र दिनांक 26–06–2024 बाबत् अपील विड्रो का स्वीकार किया जाकर अपील जरिये विड्रो खारिज की जाती हैं। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाए। संभागीय आयुक्त, पाली Signature Not Verified Digitally signed by Dr.Pratibha Singh Date: 2024.06.28 20:06:16 IST Reason: SelfAttested	